रजिस्ट्री सं० डी०(डी०एन०)—128/88

REGISTERED NO. D—(DN)—128/88

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 45] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 5, 1988 (कार्तिक 14, 1910)

No. 45] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 5, 1988 (KARTIKA 14, 1910)

(इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके)

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खण्ड 1—रक्षा मंत्रालय को छोड़कर भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं . . .	761
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं . .	1313
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं . . .	*
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों, आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	1615
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम .	*
भाग II—खण्ड 1—क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ .	*
भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट . .	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं) . . .	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी में प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं) .	
भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश . .	*
भाग III—खण्ड 1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं . . .	1129
भाग III—खण्ड 2—पेटेन्ट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से संबंधित अधिसूचनाएं और नोटिस . . .	1155
भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	*
भाग III—खण्ड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	2270
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस	183
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दिखाने वाला अनुपूरक	

*पृष्ठ संख्या प्राप्त नहीं हुई है।

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court.	761
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1313
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	1615
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1-A—Authoritative texts in Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (I)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India, (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (iii) —Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by General Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	1129
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	1155
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	2279
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	183
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	—

*Folio No. not received

भाग I—खण्ड 1
[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

आशुलिपिक सेवा ग्रेड "घ" परीक्षा 1989 के लिए नियम

नई दिल्ली, दिनांक 5 नवम्बर 1988

सं० 10/3/88-के० से०-II—निम्नलिखित सेवाओं/पदों (और ऐसी अन्य सेवाओं/पदों को जिन्हें आयोग द्वारा विज्ञापन में आवेदन पत्र आमंत्रित करते समय शामिल किया जाए) में अस्थायी रिक्तियों को भरने के प्रयोजन से 1989 में कर्मचारी चयन आयोग, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा ली जाने वाली प्रतियोगी परीक्षा के नियम सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किए जाते हैं :—

(i) रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा ग्रेड "घ"

(ii) केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा ग्रेड "घ"

(iii) सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा ग्रेड "घ"

(iv) भारतीय विदेश सेवा "ख" के संवर्ग के आशुलिपिक ग्रेड—III

(v) केन्द्रीय सतर्कता आयोग

(vi) अन्य दूसरे विभाग/कार्यालय जिनका ऊपर उल्लेख नहीं किया गया है ।

आयोग द्वारा उपर्युक्त सेवाओं/पदों के संबंध में उम्मीदवारों से वरीयता उस समय मांगी जाएगी जब वे अपने आवेदन पत्र प्रस्तुत करेंगे । फिर भी उम्मीदवार लिखित परीक्षा की तारीख से पहले एक बार वरीयता क्रम में परिवर्तन कर सकते हैं ।

2. इस परीक्षा का संचालन कर्मचारी चयन आयोग द्वारा इन नियमों में परिशिष्ट—1 में विहित विधि से किया जाएगा ।

किन तारीखों को और किन-किन स्थानों पर परीक्षा आयोजित की जाएगी इसका निर्धारण आयोग करेगा ।

3. परीक्षा के परिणामों के आधार पर भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या आयोग द्वारा जारी किए गए नोटिस में निर्दिष्ट की जाएगी । भूतपूर्व सैनिकों, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के रिक्त स्थानों के संबंध में आरक्षण सरकार द्वारा निर्धारित ढंग से किया जाएगा ।

(1) जो भूतपूर्व सैनिक सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित शर्तों को पूरा करते हैं उन्हें अपनी वास्तविक आयु में से सैनिक सेवा का समय कम करने की अनुज्ञा दे दी जाएगी । तथा ऐसी परिणामी आयु निर्धारित आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

इस आयु छूट के अधीन परीक्षा में बैठने की जिन उम्मीदवारों को अनुमति दी गई है वे उन सभी रिक्तियों के लिए चाहे वे भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित हों अथवा नहीं, परीक्षा देने के लिए पात्र होंगे ।

भूतपूर्व सैनिक से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने योद्धा अथवा गैर-योद्धा के रूप में संघ की नियमित सेवा, नौसेना, तथा वायुसेना में किसी भी रैंक में सेवा की है तथा

(i) जो ऐसी सेवा से अपनी पेंशन लेने के बाद सेवा निवृत्त हुआ है या

(ii) जिसे ऐसी सेवा से, सैनिक सेवा अथवा किन्हीं प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण मैडिकल आधार पर सेवा मुक्त किया गया हो तथा मैडिकल अथवा अन्य कोई अयोग्यता पेंशन दी गई हो ।

(iii) जिसे अपने अनुरोध के सिवाए किसी और कारण, संस्थापना के कर्मचारियों की संख्या में कमी करने के कारण ऐसी सेवा से मुक्त किया गया हो, या

(iv) जिसे अपने कार्य को किसी विशेष अवधि तक पूरा करने के बाद उसके किसी अनुरोध के सिवाए किसी और कारण से अथवा कदाचार या अदक्षता के आधार पर बर्खास्त अथवा पदच्युत करके सेवामुक्त कर दिया गया हो और उपदान दिया गया हो तथा जो निम्नलिखित श्रेणियों की प्रादेशिक सेना के कार्मिकों में शामिल हो अर्थात् :—

(i) निरन्तर एम्बाडिड सेवा पेंशन पाने वाले,

(ii) अन्य सेवा के कारण शारीरिक रूप से अयोग्य हुए व्यक्ति और

(3) बहादुरी के खिताब विजेता ।

नोट 1 : जो भूतपूर्व सैनिक अपने पुनर्नियोजन के लिए भूतपूर्व सैनिकों के रूप में लाभ प्राप्त करने के बाद पहले से ही सिविल सरकारी सेवा में आ गए हैं वे आयु में छूट के पात्र नहीं होंगे ।

नोट 2 : पैरा 3(1) के प्रयोजन से सैन्य बल में एक भूतपूर्व सैनिक की "काल अप सर्विस" की अवधि को सैन्य बलों की सेवा के रूप में माना जाएगा ।

नोट 3 : संघ की तीनों सशस्त्र सेनाओं के किसी सैनिक को आरक्षण के लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से एक भूतपूर्व सैनिक मानने के प्रयोजन से उसने पद/सेवा के लिए आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने समय भूतपूर्व सैनिक का सार पहले ही प्राप्त किया हो और अथवा वह किसी सक्षम प्राधिकारी से लिखित साक्ष्य द्वारा अपनी हकदारी के लिए यह सिद्ध करने की स्थिति में हो कि उसे अपनी नौकरी की एक साल की निश्चित अवधि हो जाने के बाद सशस्त्र सेनाओं से सेवामुक्त कर दिया जाएगा । (इसके लिए परीक्षा की तारीख संगत नहीं है) ।

(2) शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति से शारीरिक रूप से ऐसा विकलांग व्यक्ति अभिप्रेत है जिसमें कोई शारीरिक दोष हो अथवा अंग-विकृति हो गई हो जिसके कारण हड्डियों मांसपेशियों और जोड़ों के सामान्य कार्य में बाधा उत्पन्न होती हों । शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को सहायक लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

नोट:—आंशिक रूप से अंधे/जंघे उम्मीदवारों के लिए अलग से एक परीक्षा आयोजित की जाएगी ।

(3) अनुसूचित जाति/जन जाति से अभिप्राय उस किसी भी जाति से है जिसका निम्नलिखित में उल्लेख किया गया है :—संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950, संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950, संविधान (अनुसूचित जाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951, संविधान (अनुसूचित जाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951, जिसे अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति सूची (संशोधन) आदेश, 1956 द्वारा संशोधित किया गया है, बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966, हिमाचल प्रदेश अधिनियम 1970 तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971, संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956, संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जन जाति आदेश, 1959, संविधान (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जाति, आदेश, 1962, संविधान (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जन जाति आदेश, 1962, संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964, संविधान (अनुसूचित जनजाति) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967, संविधान (गोआ, दमन और द्वीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968, संविधान (गोआ दमन और दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश 1968, संविधान (नागालैंड,) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976, संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978 तथा संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978 ।

4. (1) यह आवश्यक है कि उम्मीदवार या तो :—

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) नेपाल का रहने वाला हो, या

(ग) भूटान का निवासी हो, या

(घ) एसा तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से 1 जनवरी, 1962 से पहले भारत में आया हो, या

(ङ) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो जो भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, और केन्या, उगांडा और तंजानिया संयुक्त गणराज्य (भूतपूर्व तांगानिका व जंजीबार) के पूर्व अफ्रीकी देशों, जाम्बिया मलावी, जैरे, इथोपिया और वियतनाम से आया हो ।

आगे यह कि उपर्युक्त प्रवर्ग (ख), (ग), (घ) तथा (ङ) का कोई उम्मीदवार वही व्यक्ति होगा जिसके लिए भारत सरकार द्वारा पात्रता प्रमाअपत्र जारी कर दिया गया हो । इससे आगे यह कि उपयुक्त प्रवर्ग (ख), (ग) और (घ) का कोई व्यक्ति भारतीय विदेश सेवा (ख)—आशुलिपिक संवर्ग का ग्रेड-III में नियुक्ति के लिए पात्र नही होगा ।

(2) किसी उम्मीदवार को, जिसके मामले में पात्रता प्रमाण पत्र आवश्यक हो, परीक्षा में बैठने दिया जा सकता है, लेकिन नियुक्ति प्रस्ताव केवल तभी दिया जाएगा जबकि, जिस पद पर उम्मीदवार के नियुक्त किए जाने की संभावना है, उस पद के प्रशासनिक रूप से संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा उम्मीदवार को आवश्यक पात्रता प्रमाण पत्र दे दिया गया हो ।

5. (क) इस परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवार की आयु 1-1-1989 को न 18 वर्ष से कम और 25 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए अर्थात् उसका जन्म 2 जनवरी, 1964 से पहले और 1 जनवरी, 1971 के बाद नहीं हुआ हो ।

(ख) उन व्यक्तियों के संबंध में ऊपरी आयु सीमा में 40 वर्ष तक छूट दी जाएगी जो केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा में भाग लेने वाले भारत सरकार के विभिन्न विभागों/कार्यालयों में स्थायी रूप में आशुलिपिकों (जिसमें भाषा आशुलिपिक/लिपिक/आशु टंकक/हिन्दी लिपिक/हिन्दी टंकक शामिल हैं) के रूप में नियुक्त किया गया है और जिन्होंने आशुलिपिकों के रूप में (भाषा आशुलिपिक, लिपिक/आशु-टंकक/हिन्दी लिपिक/हिन्दी टंकक भी शामिल हैं) 1 जनवरी, 1989 तक दो साल से कम सेवा न की हो और अभी भी वे इसी तरह नियुक्त हों ।

(ग) उपरिलिखित सभी मामलों में ऊपरी आयु सीमा में निम्नलिखित और छूट होगी :—

(i) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति का हो तो अधिक से अधिक 5 वर्ष तक,

(ii) यदि उम्मीदवार भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान (अब बंगला देश) का वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हो और 1 जनवरी, 1964 और 25 मार्च, 1971 के बीच की अवधि में उसने भारत में प्रव्रजन किया हो, तो अधिक से अधिक 3 वर्ष तक,

(iii) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या किसी अनुसूचित जनजाति का हो तथा भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान (अब बंगला देश) का वास्तविक विस्थापित व्यक्ति भी हो और 1 जनवरी, 1964 और 25 मार्च, 1971 के बीच की अवधि में उसने भारत में प्रव्रजन किया हो, तो अधिक से अधिक 8 वर्ष तक,

(iv) यदि उम्मीदवार भूतपूर्व पश्चिमी पाकिस्तान (अब पाकिस्तान) का वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हो और 1 जनवरी 1971 और 31 मार्च 1973 के बीच की अवधि में उसने भारत के प्रव्रजन किया हो, तो अधिक से अधिक 3 वर्ष तक ।

(v) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति का हो और भूतपूर्व पश्चिमी पाकिस्तान (अब पाकिस्तान) का वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हो तथा 1 जनवरी 1971 और 31 मार्च 1973 के बीच की अवधि में उसने भारत में प्रव्रजन किया हो, तो अधिक से अधिक 8 वर्ष तक ।

(vi) यदि उम्मीदवार श्रीलंका से सद्भावपूर्वं प्रत्यावर्तित या भविष्य में प्रत्यावर्तित होने वाला भारत के मूलक व्यक्ति हो और अक्तूबर, 1964 के भारत श्रीलंका समझौते के अधीन 1 नवम्बर, 1964 को या उसके बाद उसने भारत में प्रव्रजन किया हो, या प्रव्रजन करने वाला हो तो अधिक से अधिक 3 वर्ष तक,

(vii) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का हो और श्रीलंका से सद्भावपूर्वक प्रत्यावर्तित या भविष्य में प्रत्यावर्तित होने वाला भारत मूलक व्यक्ति हो तथा अक्तूबर, 1964 के भारत-श्रीलंका समझौते के अधीन 1 नवम्बर, 1964 को या उसके बाद उसने भारत में प्रव्रजन किया हो या करने वाला हो, तो अधिक से अधिक 8 वर्ष तक,

(viii) यदि उम्मीदवार भारत मूलक व्यक्ति हो और उसने कीनिया, उगांडा, या तंजानिया संयुक्त गणराज्य से प्रव्रजन किया हो या जांबिया, मालावी, जेरे और इथियोपिया से प्रत्यावर्तित हो, तो अधिक से अधिक 3 वर्ष तक,

(ix) यदि उम्मीदवार बर्मा से आया हुआ वास्तविक देश प्रत्यावर्तित भारतीय मूल का व्यक्ति हो और पहली जून, 1963 को या उसके बाद भारत में प्रव्रजित हुआ हो, तो अधिक से अधिक 3 वर्ष तक,

(x) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति से संबंधित हो तथा बर्मा से आया हुआ वास्तविक देश प्रत्यावर्तित भारतीय मूल का व्यक्ति हो और पहली जून, 1963 को या उसके बाद भारत में प्रव्रजित हुआ हो, तो अधिक से अधिक 8 वर्ष तक,

(xi) किसी दूसरे देश से संघर्ष के दौरान अथवा उपद्रवग्रस्त इलाकों में फौजी कार्यवाहियों को करते समय अशक्त हुए तथा उसके परिणामस्वरूप नौकरी से निर्मुक्त रक्षा सेवा कार्मिकों के मामले में अधिकतम 3 वर्ष तक,

(xii) किसी दूसरे देश से संघर्ष के दौरान अथवा उपद्रवग्रस्त इलाकों में फौजी कार्यवाहियां करते समय अशक्त हुए तथा उसके परिणामस्वरूप नौकरी से निर्मुक्त अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों से संबंधित रक्षा सेवा कार्मिकों के मामले में अधिकतम 8 वर्ष तक,

(xiii) 1971 में हुए भारत-पाक संघर्ष के दौरान फौजी कार्यवाहियों में विकलांग हुए तथा उसके फलस्वरूप निर्मुक्त किए गए सीमा सुरक्षा बल के कार्मिकों के मामलों में अधिकतम 3 वर्ष तक,

(xiv) 1971 में हुए भारत-पाक संघर्ष के दौरान फौजी कार्यवाहियों में विकलांग हुए तथा उसके फलस्वरूप निर्मुक्त किए गए सीमा सुरक्षा बल के ऐसे कार्मिकों के मामलों में अधिकतम 8 वर्ष तक, जो अनुसूचित जातियों या अनुसूचित आदिम जातियों के हों,

(xv) यदि कोई उम्मीदवार वास्तविक रूप से प्रत्यावर्तित मूलत. भारतीय व्यक्ति (जिसके पास भारतीय पारपत्र हो) और ऐसा उम्मीदवार जिसके पास वियतनाम में भारतीय राजदूतावास द्वारा जारी किया गया आपातकाल का प्रमाण-पत्र हो और जो वियतनाम से जुलाई, 1975 से पहले भारत नहीं आया हो तो उसके लिए अधिक से अधिक 3 वर्ष,

(xvi) यदि उम्मीदवार शारीरिक रूप से विकलांग हो अर्थात् जिसका कोई अंग विकृत है तो, अधिक से अधिक 10 वर्ष और

(xvii) ऐसी विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं और न्यायिक तौर पर अपने पतियों से अलग हुई महिलाओं के मामले में जिन्होंने पुनर्विवाह नहीं किया है, 35 वर्ष की आयु (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए 40 वर्ष तक) तक।

(xviii) ऊपरि आयु सीमा में अधिकतम छह वर्ष तक की छूट उन व्यक्तियों को दी जाएगी जो सामान्यतः 1-1-80 से 15-8-85 तक की अवधि में असम राज्य में रहे हों। यह छूट (क) सामान्यतः उम्मीदवार जिस जिले में रहा हो उसके जिला मजिस्ट्रेट से अथवा (ख) असम सरकार द्वारा इस संबंध में नामित किसी अन्य प्राधिकारी से प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर दी जाएगी।

(xix) जिन विभागीय उम्मीदवारों ने 5-12-1988 को कम से कम तीन वर्ष की लगातार सेवा कर ली है उन्हें 1-1-89 को 40 वर्ष (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 45 वर्ष) की आयु तक ऊपरि आयु सीमा में छूट दी जाएगी बशर्ते कि वे ऐसे पदों पर कार्य कर रहे हैं जो उसी लाइन अथवा सम्बद्ध संवर्गों के हैं तथा जहां यह सापेक्षता निश्चित की जा सकती है कि विभाग में की गई सेवा कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं० 4/4/14-स्था० (घ) दिनांक 20-7-76 तथा 35014/4/70-स्था० (घ) दिनांक 24-10-85 तथा 15012/1/88-स्था (घ) दिनांक 20-5-88 के अनुसार अन्य वर्गीकृत पदों में त्रुटियों के कुशल निष्पादन के लिए लाभप्रद होगी।

ऊपर की गई व्यवस्था को छोड़कर निर्धारित आयु सीमा में किसी भी हालत में छूट नहीं दी जा सकती है। भूतपूर्व सैनिकों के पुत्रों, पुत्रियों तथा आश्रितों को तथा पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों को आयु रियायत अनुज्ञेय नहीं है।

ध्यान दें : (1) जिस उम्मीदवार को उपर्युक्त नियम 5 (ख) में उल्लिखित आयु छूट के अधीन परीक्षा में प्रवेश दे दिया गया हो उसकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है जबकि आवेदन पत्र भेजने के बाद वह परीक्षा से पहले या परीक्षा देने के बाद सेवा से त्यागपत्र दे देता है या विभाग द्वारा उसकी सेवा समाप्त कर दी जाती है। किन्तु आवेदन पत्र भेजने के बाद यदि उसकी सेवा या पद से छटनी हो जाती है तो वह पात्र बना रहेगा।

ध्यान दें : (2) ऐसा आशुलिपिक (भाषा आशुलिपिक, लिपिक/आशुटंकक/हिन्दी लिपिक/हिन्दी टंकक सहित) जो सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से संवर्ग बाह्य पदों पर प्रतिनियुक्ति पर है अथवा जिसे किसी अन्य पद पर स्थानान्तरित कर दिया गया है परन्तु उसका धारणाधिकार उस पद पर है जिससे वह स्थानान्तरित किया गया था, यदि वह अन्यथा पात्र है परीक्षा में बैठने का पात्र होगा।

6. उम्मीदवारों ने केन्द्र या राज्य विधान मंडल के किसी अधिनियम द्वारा निगमित किसी विश्वविद्यालय की मैट्रिक परीक्षा अवश्य पास की हो, अथवा उसके पास किसी राज्य के शिक्षा बोर्ड की माध्यमिक स्कूल परीक्षा के बाद हाई स्कूल परीक्षा का या कोई और ऐसा प्रमाण-पत्र हो जिसे उस राज्य की सरकार/भारत सरकार द्वारा नौकरी में प्रवेश के लिए मैट्रिक के प्रमाण-पत्र के समकक्ष माना गया हो।

नोट-1 : कोई भी उम्मीदवार जिसने ऐसी कोई परीक्षा दे दी है जिसके पास करने पर वह आयोग की परीक्षा के लिए शैक्षिक रूप से पात्र होगा परन्तु उसे परीक्षाफल की सूचना नहीं मिली है तथा ऐसा उम्मीदवार जो ऐसी अर्हक परीक्षा में बैठने का इच्छुक है, आयोग की परीक्षा में प्रवेश पाने का पात्र नहीं होगा।

नोट-2: आपवादिक परिस्थितियों में, केन्द्रीय सरकार किसी ऐसे उम्मीदवार को भी परीक्षा में प्रवेश पाने का पात्र मान सकती है, जिसके पास उपर्युक्त नियम में निर्धारित शैक्षिक अर्हताओं में से कोई अर्हता नहीं हो बशर्ते कि उम्मीदवार के पास कोई ऐसी अर्हता हो जिसका स्तर सरकार के मतानुसार ऐसा हो कि उसके आधार पर उम्मीदवार को उक्त परीक्षा में बैठने दिया जा सकता है।

7. जिस व्यक्ति ने

(क) ऐसे व्यक्ति से विवाह या विवाह अनुबन्ध किया है जिसका जीवित पति/पत्नी पहले से है, या

(ख) जीवित पति/पत्नी के रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह या विवाह अनुबन्ध किया है। वह सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट हो जाए कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति तथा विवाह सूत्र के दूसरे पक्ष पर लागू होने वाले वैयक्तिक कानून के अनुसार स्वीकार्य और ऐसा करने के अन्य कारण भी हैं, तो वह किसी भी व्यक्ति को इस नियम से छूट दे सकती है।

8. जो उम्मीदवार स्थायी अथवा अस्थायी रूप से सरकारी नौकरी में पहले से हो, वह परीक्षा में बैठने के लिए सीधे आवेदन कर सकता है परन्तु उसे आशुलिपिक परीक्षा में बैठने की अनुमति से पहले अपने कार्यालय से आयोग को एक अनापत्ति प्रमाण-पत्र भेजना होगा।

9. उम्मीदवार को मानसिक और शरीरिक दृष्टि से स्वस्थ होना चाहिए और उसमें कोई ऐसा शारीरिक दोष नहीं होना चाहिए जो संबंधित सेवा के अधिकारी के रूप में अपने कर्त्तव्यों को कुशलतापूर्वक निभाने में बाधक हो। यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित डाक्टरी परीक्षा के बाद किसी उम्मीदवार के बारे में यह ज्ञात हुआ कि वह इन अपेक्षाओं को पूरा

नहीं कर सका है तो उसकी नियुक्ति नहीं की जाएगी। केवल उन्हीं उम्मीदवारों की डाक्टरी परीक्षा की जाएगी जिन पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने की संभावना हो।

टिप्पणी :—अशक्त भूतपूर्व रक्षा कार्मिकों के मामले में, रक्षा सेवा के सैन्य विघटन डाक्टरी बोर्ड (डीमोबीलाइजेशन मैडिकल बोर्ड) द्वारा दिया गया स्वस्थता प्रमाण-पत्र नियुक्ति के प्रयोजन के लिए पर्याप्त समझा जाएगा।

10. परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवार की पात्रता या अपात्रता के बारे में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।

11. सशस्त्र सेना से कार्यमुक्त भूतपूर्व सैनिक तथा जिन्हें आयोग के नोटिस के अन्तर्गत शुल्क की छूट दी गई है, उनको छोड़कर सभी उम्मीदवारों को आयोग के नोटिस में निर्धारित शुल्क देना होगा।

12. किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा में तब तक नहीं बैठने दिया जायेगा जब तक उसके पास आयोग का प्रवेश-पत्र (सर्टिफिकेट आफ एडमिशन) न हो।

13. यदि उम्मीदवार ने अपनी उम्मीदवारी के लिए किसी प्रकार का समर्थन प्राप्त करने का यत्न किया तो उसे परीक्षा में प्रवेश के लिए अयोग्य माना जा सकता है।

14. यदि किसी उम्मीदवार को आयोग द्वारा निम्नलिखित बातों के लिए दोषी घोषित कर दिया जाता है या कर दिया गया हो कि उसने :—

(1) किसी भी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया है, अथवा

(2) नाम बदल कर परीक्षा दी है, अथवा

(3) किसी अन्य व्यक्ति से नाम बदल कर परीक्षा दिलाई है, अथवा

(4) जाली प्रमाण-पत्र या ऐसे प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए हैं जिनमें तथ्यों को बिगाड़ा गया हो, अथवा

(5) गलत या झूठे विवरण दिए हैं या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है, अथवा

(6) परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए अन्य अनियमित अथवा अनुचित उपायों का सहारा लिया है, अथवा

(7) परीक्षा के समय अनुचित साधनों का प्रयोग किया हो, या

(8) उत्तर पुस्तिकाओं पर असंगत बातें लिखी हों जो अश्लील भाषा में या अभद्र आशय की हों, या

(9) परीक्षा भवन में और किसी प्रकार का दुर्व्यवहार किया हो, या

(10) परीक्षा चलाने के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान किया हो या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुंचाई हो,

(11) परीक्षा देने की अनुमति वाले प्रवेश-पत्र के साथ उम्मीदवारों को जारी किए गए किसी अनुदेश का उल्लंघन किया हो, अथवा

(12) उपर्युक्त खण्डों में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य के द्वारा आयोग को अवप्रेरित करने का प्रयत्न किया हो तो उस पर आपराधिक अभियोग (क्रिमिनल प्रासीक्यूशन) चलाया जा सकता है और उसके साथ ही उसे—

(क) आयोग द्वारा उस परीक्षा से, जिसका वह उम्मीदवार है, बैठने के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है, अथवा

(ख) उसे स्थायी रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिए

(1) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिये,

(2) केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने अधीन किसी भी नौकरी से वंचित किया जा सकता है, और

(ग) यदि वह पहले से सरकारी नौकरी में हो तो उपर्युक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती।

15. उम्मीदवारों का चयन : परीक्षा के बाद आयोग हर एक उम्मीदवार को अंतिम रूप से दिए गए कुल प्राप्तांकों के आधार पर उनके योग्यता क्रम के अनुसार उनके नामों की सूची बनायेगा और उस क्रम के अनुसार आयोग उस परीक्षा में जितने उम्मीदवारों को अंग्रेजी आशुलिपिकों अथवा हिन्दी आशुलिपिकों जैसा भी मामला हो के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हता प्राप्त समझेगा, उनकी इस परीक्षा के परिणामों के आधार पर भरी जाने वाली अनारक्षित रिक्तियों में नियुक्ति के लिए अपेक्षित संख्या तक सिफारिश की जाएगी।

इन नियमों में दिए गए अन्य उपबन्धों के अध्यधीन, परीक्षा के परिणामों के आधार पर नियुक्तियां करते समय उम्मीदवार द्वारा अपने आवेदनपत्र में विभिन्न सेवाओं/पदों के लिए व्यक्त की गई अग्रताओं पर उचित ध्यान दिया जाएगा।

परन्तु यदि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, शारीरिक रूप से विकलांग वर्गों अथवा भूतपूर्व सैनिकों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रिक्तियां इन वर्गों के उम्मीदवारों द्वारा सामान्य मानकों के आधार पर नहीं भरी जा सकती हों, तो आरक्षित कोटा में कमी को पूरा करने के लिए आयोग द्वारा स्तर में छूट देकर, चाहे परीक्षा के योग्यता क्रम में उनका कोई भी स्थान हो, सेवा में चयन करने के लिए उनकी सिफारिश की जाएगी बशर्ते कि वे उपयुक्त हों।

परन्तु यह भी कि यदि अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों से संबंधित भूतपूर्व सैनिकों तथा शारीरिक विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों और शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों द्वारा सामान्य मानकों के आधार पर नहीं भरी जा सकती हों, तो आरक्षित कोटे में कमी को पूरा करने के लिए आयोग द्वारा स्तर में छूट देकर, चाहे परीक्षा के योग्यताक्रम में उनका कोई भी स्थान हो, सेवा में चयन करने के लिए उनकी सिफारिश की जाएगी बशर्ते कि ये उम्मीदवार इन सेवाओं में चयन के लिए उपयुक्त हों।

16. हर एक उम्मीदवार को परीक्षा फल की सूचना किस रूप में तथा किस प्रकार दी जाए, इसका निर्णय आयोग अपने विवेकानुसार करेगा और आयोग परीक्षा फल के संबंध में उनसे कोई पत्र-व्यवहार नहीं करेगा।

17. उम्मीदवार के चरित्र तथा पूर्ववृत्तों की आवश्यक जांच के बाद जब तक सरकार इस बात से संतुष्ट न हो जाए कि उम्मीदवार इस सेवा में नियुक्ति के लिए हर प्रकार से उपयुक्त है, तब तक परीक्षा में पास हो जाने मात्र से नियुक्ति का अधिकार नहीं मिल जाता।

18. इस परीक्षा के द्वारा जिन सेवाओं के लिए भर्ती की जा रही है उनके संक्षिप्त विवरण परिशिष्ट-II में दिए गए हैं।

जे० एस० सिन्हा, उप-सचिव

परिशिष्ट—I

परीक्षा की योजना :—परीक्षा के दो भाग होंगे अर्थात् :—

भाग—I : लिखित परीक्षा

भाग—II : आशुलिपि परीक्षा

भाग— I : लिखित परीक्षा :—परीक्षा के विषय, प्रत्येक विषय के लिए दिया गया समय तथा पूर्णांक और पाठ्य विवरण तथा स्तर निम्न प्रकार होंगे :—

विषय	पूर्णांक	दिया गया समय
(1) भाषा परीक्षा	100	2 घंटे
(2) सामान्य जागरूकता	100	

दोनों ही उक्त विषयों से संबंधित केवल एक पेपर होगा, जिसमें वस्तुनिष्ठ बहु विकल्पी प्रकार के प्रश्न होंगे उम्मीदवारों को दोनों ही विषयों को, अलग-अलग रूप से, पास करना अनिवार्य होगा। आयोग को किसी एक विषय या दोनों ही विषयों के लिए न्यूनतम अर्हक अंक निर्धारित करने की पूर्ण छूट होगी। केवल वही उम्मीदवार आशुलिपि परीक्षा के लिए बुलाए जाने के लिए विचारण के पात्र होंगे जो दोनों ही विषयों में अर्हता प्राप्त करेंगे।

स्तर तथा पाठ्यविवरण:—प्रश्न पत्रों का स्तर लगभग वही होगा जो किसी भारतीय विश्वविद्यालय की मैट्रिकुलेशन परीक्षा का होता है।

भाषा परीक्षा (हिन्दी/अंग्रेजी) :—इस परीक्षा में ऐसे प्रश्न होंगे जिससे कि उम्मीदवार के हिन्दी/अंग्रेजी भाषा तथा इसकी शब्दावली, व्याकरण वाक्य संरचना, समानार्थक तथा विपरीतार्थक आदि से संबंधित ज्ञान का मूल्यांकन किया जा सके। परिच्छेद को समझने के संबंध में भी प्रश्न होंगे।

सामान्य जागरूकता :—इसमें प्रश्न इस प्रकार से तैयार किए जाएंगे जिससे कि उम्मीदवार की, उसके आसपास घटने वाली घटनाओं तथा समाज में उसकी प्रासंगिकता के संबंध में, सामान्य जागरूकता संबंधी योग्यता का मूल्यांकन किया जा सके। इसमें ऐसे भी प्रश्न रखे जाएंगे जिससे कि उम्मीदवार की, वर्तमान घटनाक्रम और दिन प्रतिदिन नजर आने वाली तथा उनके वैज्ञानिक पहलुओं की बातें जिनकी जानकारी पढ़े लिखे व्यक्ति को होनी चाहिए, ज्ञान का मूल्यांकन किया जा सके। इस परीक्षा में भारत तथा इसके पड़ौसी देशों के संबंध में विशेषकर इतिहास, संस्कृत, भूगोल अर्थ-व्यवस्था, सामान्य नीति तथा वैज्ञानिक अनुसंधान से संबंधित प्रश्न भी होंगे।

भाग—II

हिन्दी या अंग्रेजी में आशुलिपि परीक्षा 300 अंक

(लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने वालों के लिए)

आशुलिपि परीक्षा के बारे में ब्यौरे इस प्रकार होंगे :—

आशुलिपि परीक्षा की योजना

उम्मीदवारों को अंग्रेजी अथवा हिन्दी में 80 शब्द प्रति मिनट की गति से 10 मिनट के लिए एक श्रुतलेख की परीक्षा देनी होगी जो उम्मीदवार अंग्रेजी में परीक्षा देने का विकल्प देंगे उन्हें 65 मिनट में सामग्री का लिप्यन्तर करना होगा और जो उम्मीदवार हिन्दी में परीक्षा देने का विकल्प देंगे उन्हें 75 मिनट में सामग्री का लिप्यन्तर करना होगा।

(1) उम्मीदवारों को अपने आशुलिपि नोट टंकण मशीन पर लिप्यन्तर करने होंगे, और इस प्रयोजन के लिए उन्हें अपनी टंकण मशीन लानी होगी

(2) जो उम्मीदवार हिन्दी में आशुलिपि परीक्षा देने का विकल्प देंगे अपनी नियुक्ति के बाद अंग्रेजी आशुलिपि सीखनी आवश्यक होगी और जो उम्मीदवार अंग्रेजी में आशुलिपि परीक्षा देने का विकल्प देंगे उन्हें हिन्दी आशुलिपि सीखनी आवश्यक होगी।

परिशिष्ट—II

इस परीक्षा के माध्यम से जिन सेवाओं/पदों के लिए भर्ती की जा रही है, उससे संबंधित संक्षिप्त ब्यौरे।

ए. केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा।

1. केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपि सेवा में इस समय निम्नलिखित ग्रेड हैं :—

ग्रेड "क" और "ख" (संविलयन): रु० 2000-60-2300-द० रो-75-3200-100-3500

ग्रेड "ग" रु० 1400-40-1600-50-2300-द रो०-60-2600

ग्रेड "घ" रु० 1200-30-1560-द० रो०-40-2040।

रु० 3000-100-3500-द० रो०-125-45 के वेतनमान में एक नया संवर्ग बनाए जाने से संबंधित प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

2. उक्त सेवा के ग्रेड "घ" में नियुक्त व्यक्ति दो वर्ष तक परिवीक्षाधीन रहेंगे। इस अवधि के दौरान उन्हें ऐसे प्रशिक्षण लेने आवश्यक हैं तथा ऐसी परीक्षाएं पास करनी आवश्यक हैं जो सरकार द्वारा निर्धारित की जाएं।

3. परिवीक्षा की अवधि पूरी होने पर सरकार संबंधित व्यक्ति को उसके पद पर स्थायी कर सकती है या यदि उसका कार्य अथवा आचरण सरकार की राय में असंतोषजनक रहा हो तो उसे सेवा से निकाला जा सकता है या सरकार उसकी परिवीक्षा अवधि जितनी और बढ़ाना उचित समझे बढ़ा सकती है।

4. सेवा के ग्रेड "घ" में भर्ती किए गए व्यक्तियों को केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपि सेवा आयोग में भाग लेने वाले मंत्रालयों या कार्यालयों में से किसी एक में नियुक्त कर दिया जाएगा। किन्तु उसकी किसी भी समय किसी भी ऐसे अन्य मंत्रालय या कार्यालय में बदली हो सकती है।

5. सेवा के ग्रेड "घ" में भर्ती किए गए व्यक्ति इस संबंध में समय-समय पर लागू नियमों के अनुसार अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नत किए जाने के पात्र होंगे।

(ग) भारतीय विदेश सेवा (ख)—आशुलिपिक संवर्ग का ग्रेड-III

इस समय भारतीय विदेश सेवा "ख" के आशुलिपिक संवर्ग के निम्नलिखित चार ग्रेड हैं :—

चयन ग्रेड/ग्रेड-I

रु० 2000-60-2300-द० रो०-75-3200-100-3500

ग्रेड-II

रु० 1400-40-1600-50-2300-द० रो०-60-2600

ग्रेड-III

रु० 1200-30-1560-द० रो०-40-2040

2. सेवा के ग्रेड-III में नियुक्त व्यक्ति दो वर्ष तक परिवीक्षाधीन रहेंगे। इस अवधि के दौरान उन्हें ऐसे प्रशिक्षण लेने तथा ऐसी परीक्षाएं पास करनी आवश्यक हैं जो सरकार द्वारा निर्धारित की जाएं। परिवीक्षा की अवधि पूरी होने पर यदि उनमें से किसी का भी कार्य अथवा आचरण सरकार की राय में असंतोषजनक पाया जाए तो उस स्थिति में या तो उसे सेवा से निकाला जा सकता है या सरकार द्वारा यथोचित समय के लिए उसकी परिवीक्षा अवधि को आगे बढ़ाया जा सकती है।

3. भारतीय विदेश सेवा "ख" में नियुक्त किए गए उम्मीदवारों को मुख्यालयों, भारत में किसी भी स्थान पर अथवा विदेश में जिस पद पर भी नियोक्ता प्राधिकारियों द्वारा तैनात किया जाए, पदों पर सेवा करनी होगी।

4. विदेश सेवा के दौरान, भारतीय विदेश सेवा (ख) के अधिकारियों को संबंधित देशों की जीवन-निर्वाह लागत आदि पर आधारित, समय-समय पर मंजूर की जाने वाली दरों पर उनके मूल वेतन के अतिरिक्त विदेश भत्ता मंजूर किया जाता है। इसके अतिरिक्त, भारतीय विदेश सेवा (ख) के अधिकारियों पर लागू भारतीय विदेश सेवा (पी० एल० सी० ए०) नियमावली, 1961 के अनुसार, विदेश सेवा के दौरान निम्नलिखित रियायतें भी स्वीकार्य होंगी :—

(1) सरकार द्वारा निर्धारित वेतनमान के अनुसार निःशुल्क सुसज्जित आवास;

(2) सहायता प्राप्त चिकित्सा परिचर्या योजना के अधीन चिकित्सा परिचर्या प्रसुविधाएं;

(3) सरकार द्वारा यथानिर्दिष्ट भारत में किसी निकटतम संबंधी की मृत्यु अथवा सख्त बीमारी जैसी आकस्मिक स्थिति में भारत में आने और विदेश में अपने तैनाती के स्थान पर वापिस जाने के लिए अधिकारियों की पूरी सेवा के दौरान उन्हें अधिकतम दो बार हवाई यात्रा टिकट;

(4) कुछ शर्तों के अध्यधीन छुट्टियों के दौरान, माता-पिता को मिलने के लिए भारत में पढ़ाई कर रहे 6 वर्ष से 22 वर्ष तक के आयु वर्ग के बच्चों को वार्षिक वापसी हवाई यात्रा टिकट;

(5) अधिकारियों की विदेश में नियुक्ति के स्थान में पढ़ाई कर रहे 5 से 18 वर्ष तक की आयु के भीतर के अधिकतम दो बच्चों का शिक्षा पर हुआ व्यय कुछ शर्तों के अध्यधीन सरकार द्वारा वहन किया जाता है;

(6) विद्यमान अनुदेशों के अनुसार विदेश में नियुक्ति के लिए सज्जा (आउटफिट) भत्ता।

(7) निर्धारित नियमों के अनुसार अधिकारियों और उनके परिवारों को स्वदेश छुट्टी यात्रा भत्ता।

ब. सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा

विद्यमान स्थिति के अनुसार, सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा में पदों को भरने की पद्धति सहित, चार ग्रेड निम्नानुसार हैं :—

ग्रेड	वेतनमान	पद्धति
1	2	3
आशुलिपिक ग्रेड "क"	रु० 650–1200 यथासंशोधित 2000–3500	ग्रेड "ख" आशुलिपिकों की पदोन्नति द्वारा
आशुलिपिक ग्रेड "ख"	रु० 650–1040 यथासंशोधित रु० 2000–3500	5 प्रतिशत तक ग्रेड "ग" आशुलिपिकों की पदोन्नति द्वारा 50 प्रतिशत तक सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर आशुलिपिक ग्रेड "ग" की पदोन्नति द्वारा।
आशुलिपिक ग्रेड "ग"	रु० 425–800 यथासंशोधित 1400–2600	25 प्रतिशत आशुलिपिक ग्रेड "घ" की पदोन्नति द्वारा 25 प्रतिशत तक सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर आशुलिपिक ग्रेड "घ" की पदोन्नति द्वारा 50 प्रतिशत सीधी भर्ती के उम्मीदवारों द्वारा।
आशुलिपिक ग्रेड "घ"	रु० 330–560 यथासंशोधित रु० 1200–2040	समस्त सेना मुख्यालय लिपिकीय सेवा के सदस्यों के लिए कर्मचारी चयन आयोग द्वारा, आयोजित सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से जिसके न होने पर, सरकार द्वारा निर्धारित पद्धति द्वारा।

(टिप्पणी): चतुर्थ वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार ने आशुलिपिक ग्रेड "क" और आशुलिपिक ग्रेड "ख" को रु० 2000–3500 के संशोधित वेतनमान में संविलयित कर दिया है और रु० 3000–4500 के वेतनमान में आशुलिपिक के अतिरिक्त पदों का सृजन किया है। सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा की पुनरीक्षा विचाराधीन है।

2. सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा में नियुक्त व्यक्ति दो वर्ष तक परिवीक्षाधीन रहेंगे। इस अवधि के दौरान उन्हें ऐसे प्रशिक्षण लेने तथा परीक्षाएं पास करनी आवश्यक हैं जो सरकार द्वारा निर्धारित की जाएं।

3. परिवीक्षा की अवधि पूरी होने पर सरकार संबंधित व्यक्ति को उसके पद पर स्थायी कर सकती है अथवा यदि उसका कार्य अथवा आचरण सरकार की राय में असंतोषजनक रहा हो तो उसे सेवा से निकाला जा सकता है या सरकार यथोचित समय के लिए उसकी परिवीक्षा अवधि को आगे बढ़ा सकती है।

4. सेवा के ग्रेड "घ" में भर्ती किए गए व्यक्तियों को सशस्त्र सेना मुख्यालय दिल्ली/नई दिल्ली में स्थित रक्षा मंत्रालय के अधीन अस्थः सेवा संगठनों तथा सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा योजना के अन्तर्गत शामिल कार्यालयों में से किसी एक में नियुक्त कर दिया जाएगा। फिर भी उन्हें भारत में किसी भी स्थान पर सेवा करनी पड़ सकती है।

5. सेवा के ग्रेड "घ" में भर्ती किए गए व्यक्ति, इस संबंध में समय समय पर लागू नियमों के अनुसार अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति किए जाने के पात्र होंगे।

ग रेल बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा

(क) (1) रेल बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा में फिलहाल जनिम्नलिखित ग्रेड हैं :—

ग्रेड क रु० 2000–60–2300–रु० रो०–75–3200–100–3500 का एकीकृत ग्रेड।

ग्रेड ख

ग्रेड ग रु० 1400–40–1600–50–2300अद० रो० 60–2600

ग्रेड घ रु० 1200–30–1560–रु० रो०–40–2040

(2) उक्त सेवा के ग्रेड ग में भर्ती किए गए व्यक्ति दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेंगे। इस अवधि के दौरान उन्हें ऐसा प्रशिक्षण लेना पड़ेगा तथा ऐसी परीक्षा उत्तीर्ण करनी पड़ेगी जो सरकार समय-समय पर निर्धारित करे। परिवीक्षा अवधि के समाप्त होने पर यदि यह पाया गया कि सरकार की राय में उनमें से किसी भी व्यक्ति का कार्य या आचरण असंतोषजनक रहा है तो उसे सेवा मुक्त किया जा सकता है या उसकी परिवीक्षा की अवधि को सरकार द्वारा अपेक्षित अवधि तक बढ़ाया जा सकता है।

(3) उक्त सेवा के ग्रेड घ में भर्ती किए गए व्यक्ति इस संबंध में समय समय पर लागू नियमों के अनुसार अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति के पात्र होंगे।

(ख) रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा रेल मंत्रालय तक ही सीमित है तथा केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा की तरह कर्मचारियों का अन्य मंत्रालयों में स्थानान्तरण नहीं होता है।

(ग) इन नियमों के अधीन भर्ती किए गए रेलवे बोर्ड आशुलिपिक सेवा के अधिकारी —

(1) पेंशन लाभ के पात्र होंगे तथा

(2) सेवा में आने की तारीख को नियुक्त रेल कर्मचारियों पर लागू गैर अंशदायी राज्य रेल भविष्य निधि के अधीन उक्त निधि में अभिदान करेंगे।

(घ) रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा में नियुक्त उम्मीदवार रेलवे बोर्ड द्वारा समय समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार पास और रियायती टिकट आदेश का हकदार होगा।

(ङ) जहां तक अवकाश तथा सेवा की अन्य शर्तों का संबंध है रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा में सम्मिलित स्टाफ के साथ वैसा ही बर्ताव किया जाता है जैसा कि रेलवे के अन्य स्टाफ से, किन्तु चिकित्सा सुविधाओं के मामले में वे केन्द्रीय सरकार के अन्य कर्मचारियों पर लागू नियमों में शामिल होंगे जिनका मुख्यालय नई दिल्ली होगा।

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 4 अक्तूबर, 1988

सं एफ 15(1)-डी पी०/88—भारत सरकार एतद्द्वारा वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) की दिनांक 30 जून, 1975 की अधिसूचना संख्या एफ 16(1)-पी डी०/75, जिसे 13 जून, 1985 की अधिसूचना संख्या एफ 16(18)-पी डी०/84 द्वारा विस्तरित किया गया था, में यथा-घोषित गैर-सरकारी भविष्य निधियों, अधिवर्षता तथा उपदान निधियों से संबंधित विशेष जमा योजना में निम्नलिखित संशोधन करती है यह संशोधन तत्काल लागू हो जाएगा।

(1) फार्म-विशेष जमा योजना के अन्तर्गत खाता खोलने के लिए आवेदन-पत्र में निम्नलिखित पैरा 2 के रूप में अन्तर्निविष्ट किया जाएगा:—

"मैं/हम, निम्नोलिखित निधि के नियंत्रक प्राधिकारी के रूप में एतद्द्वारा घोषणा करता हूं/करते हैं कि उक्त निधि के नाम में कोई अन्य विशेष जमा खाता नहीं खोला गया है।"

(2) उक्त फार्म-क में वर्तमान पैरा 2 को अब पुनः संख्यांकित करके पैरा 3 की संख्या दी जाएगी।

बी० बालसुब्रमण्यन, विशेष कार्य अधिकारी (बजट)

वाणिज्य मंत्रालय

(पूर्ति विभाग)

नई दिल्ली-110011, दिनांक 29 सितम्बर 1988

संकल्प

सं क्रय-3-1(5)/86—इस विभाग के दिनांक 11 जून, 1987 के संकल्प संख्या क्रय-3-1(5)/86 (दिनांक 15-10-87, 20-1-88 13-6-88 तथा 19-9-88 के सममंख्यक संकल्प द्वारा यथा संशोधित) के तहत सरकारी खरीद के लिए एक अलग कानून पर विचार करने तथा उसके सामान्य ढांचे एवं उद्देश्य के बारे में सुझाव देने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त मुख्य न्यायाधीश श्री प्रकाश नारायण की अध्यक्षता में एक कार्य दल का गठन किया गया है। संकल्प में निम्नलिखित संशोधन के लिए आदेश दिए जाते हैं:—

सदस्य सचिव—

श्री आर० पी० मिश्रन,

अपर महानिदेशक (पूर्ति तथा निपटान)

के स्थान पर

परामर्शदाता एवं सदस्य सचिव श्री एम० श्रीनिवासन, पूर्व महानिदेशक (पूर्ति तथा निपटान)

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रतिलिपि सभी संबंधित व्यक्तियों को दी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि सामान्य सूचना के लिए संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाये।

आर० सी० कपिला, अपर सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 10 अक्तूबर 1988

संकल्प

स ई 11011/4/85-समन्वय (हि०)—इस विभाग के 21 अप्रैल 1986 के संकल्प सं ई 11011/4/85-समन्वय (हि०) में आंशिक संशोधन करते हुए श्रीमती कृष्णा कौल, राज्यसभा सदस्य के सेवा-निवृत्त हो जाने के परिणामस्वरूप हुई रिक्ति में श्री सुबास मोहन्ती, राज्यसभा सदस्य को मानव संसाधन विकास मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति के शेष कार्यकाल के लिए समिति का सदस्य नामित किया जाता है

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति समिति के सभी सदस्यों, सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों, प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, राज्यसभा सचिवालय, लोकसभा सचिवालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, राष्ट्रपति सचिवालय, योजना आयोग, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

एस० गोपालन, आर सचिव

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 26 सितम्बर, 1988

संकल्प

स ई 11015/38/88-हिन्दी—इस मंत्रालय के संकल्प संख्या ई 11015/1/85-हिन्दी में आंशिक संशोधन करते हुए भारत सरकार ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति का कार्यकाल 31 दिसम्बर, 1988 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।

समिति की अन्य शर्तें वही रहेंगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति, सभी राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, राष्ट्रपति के सचिवालय, प्रधान मंत्री के कार्यालय, मंत्रिमण्डल सचिवालय, संसदीय कार्य विभाग, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, केन्द्रीय राजस्व और लेखा महानियंत्रक को भेज दी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प सर्व साधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए

बी० के० जुत्शी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(DEPARTMENT OF PERSONNEL AND TRAINING)

New Delhi, the 5th November 1988

No. 10/3/88-CS-II.—The rules for a Competitive Examination to be held by the Staff Selection Commission, Department of Personnel and Training in 1989 for the purpose of filling temporary vacancies in the following services/posts (and for such other services/posts as may be included by the Commission in their advertisement inviting applications for the Examination) are published for general information :—

(i) Railway Board Secretariat Stenographers' Service-Grade 'D'.

(ii) Central Secretariat Stenographers' Service-Grade 'D'.

(iii) Armed Forces Headquarters Stenographers' Service-Grade 'D'.

(iv) Grade III of Stenographers' Cadre of IFS 'B'.

(v) Central Vigilance Commission.

(vi) Any other Department/Office, not mentioned above.

Preference in respect of services/posts mentioned above will be invited by the Commission from the candidates at the time of submitting their applications. A candidate may, however, change the order of preference once before the date of the written examination.

2. The examination will be conducted by the Staff Selection Commission in the manner prescribed in Appendix I to these Rules.

The dates on which and the places at which the examination will be held shall be fixed by the Commission.

3. The number of vacancies to be filled on the result of the examination will be specified in the Notice issued by the commission. Reservation will be made for candidates who are Ex-servicemen, Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Physically Handicapped, in respect of vacancies as may be fixed by the Government.

(i) Ex-Servicemen fulfilling the conditions laid down by the Government from time to time shall be allowed to deduct military service from their actual age and such resultant age should not exceed prescribed age limit by more than three years.

Candidates admitted to the examination under this age concession will be eligible to compete for all the vacancies whether reserved or not for ex-servicemen.

"An 'ex-servicemen' means a person, who has served in any rank whether as a combatant or non-combatant in the Regular Army, Navy and Air Force of the Indian Union; and

(i) who retired from such service after earning his/her pension; or

(ii) who has been released from such service on medical grounds attributable to military service or circumstances beyond his control and awarded medical or other disability pension; or

(iii) who has been released, otherwise than on his own request from such service as a result of reduction in establishment; or

(iv) who has been released from such service after completing the specific period of engagements, otherwise than at his own request or by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency, and has been given a gratuity; and includes personnel of the Territorial Army of the following categories; namely :—

(i) Pension holders for continuous embodied service;

(ii) persons with disability attributable to military service; and

(iii) gallantry award winners."

NOTE I : Ex-servicemen who have already joined Government job in civil side after availing of the benefits given to them as ex-servicemen for their re-employment are not eligible to the age concession.

NOTE II : The period of 'Call up Service' of an ex-serviceman in the Armed Forces' shall also be treated as service concerned in the Armed Forces for purpose of para 3(1) above.

NOTE III : For any serviceman of the three Armed Forces of the Union to be treated as Ex-Serviceman for the purpose of securing the benefits of reservation, he must have already acquired, at the relevant time of submitting his application for the post/service, the status of Ex-serviceman and/or is in a position to establish his acquired entitlement by documentary evidence from the competent authority that he would be discharged from the Armed Forces *within the stipulated period of one year on completion of his assignment.* (The date of the examination is not relevant for this purpose).

(ii) Physically handicapped person means an orthopaedically handicapped person who has a physical defect or deformity which causes an interference with the normal functioning of the bone muscles and points. No scribe will be allowed to the Orthopaedically handicapped persons.

NOTE : A SEPARATE EXAMINATION WILL BE HELD FOR PARTIALLY BLIND CANDIDATES.

(iii) Scheduled Castes/Tribes means any of the Castes/Tribes mentioned in the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950; the constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950; the Constitution (Scheduled Castes) (Union Territories) Order, 1951; the Constitution (Scheduled Tribes) (Union Territories) Order, 1951; as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Lists (Modification) Order, 1956; the Bombay Reorganisation Act, 1960; the Punjab Reorganisation Act, 1966; the State of Himachal Pradesh Act, 1970; and the North Eastern Areas (Reorganisation) Act; 1971; the Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order, 1956; the Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959; the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962; the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962; the Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964; the Constitution (Scheduled Tribes) (Uttar Pradesh) Order, 1967; the Constitution (Goa, Daman and Diu), Scheduled Castes Order, 1968; the Constitution (Goa, Daman and Diu), Scheduled Tribes Order, 1968; the Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970; the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Order (Amendment) Act, 1976; the Constitution (Sikkim) Scheduled Castes Order, 1978; and the Constitution (Sikkim) Scheduled Tribes Order, 1978.

4. (1) A candidate must be either :—

(a) a citizen of India, or

(b) a subject of Nepal or

(c) a subject of Bhutan, or

(d) a Tibetan refugee who came over to India, before 1st January, 1962, with the intention of permanently settling in India or

(e) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka and East African countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar), Zambia, Malawi, Zaire, Ethiopia and Vietnam with the intention of permanently settling in India.

Provided that a candidate belonging to Categories (b), (c), (d) and (e) above shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government of India.

Provided further that candidates belonging to categories (b), (c) and (d) above will not be eligible for appointment to the Indian Foreign Service (B)-Grade III of the Stenographers cadre.

2. A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to the Examination but the offer of appointment will be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Ministry/Department, which is administratively concerned with the post where the candidate is likely to be appointed.

5. (A) A candidate for this examination must have attained the age of 18 years and must not have attained the age of 25 years on 1-1-1989 i.e. he must have been born not earlier than 2nd January, 1964 and not later than 1st 1971.

(B) The upper age limit will be relaxable upto the age of 40 years in respect of persons who have been regularly appointed as Stenographers (including language stenographers clerks/Stenotypists/Hindi Clerks/Hindi Typists in various Departments/Offices of the Government of India participating in the Central Secretariat Stenographers' Service and have rendered not less than 2 years continuous service as Stenographers (including language Stenographers)/Clerks/Steno-typists/Hindi Clerks/Hindi Typists on 1st January, 1989 and continue to be so employed.

(c) The upper age limit in all the above cases will be further relaxable :—

(i) upto a maximum of five years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe;

(ii) upto a maximum of three years if a candidate is a bonafide displaced person from erstwhile East Pakistan (now Bangla Desh) and had migrated to India during the period between 1st January, 1964 and 25th March, 1971;

(iii) upto a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a bonafide displaced person from erstwhile East Pakistan (now Bangla Desh) and had migrated to India during the period between 1st January, 1964 and 25th March, 1971;

(iv) upto a maximum of three years if a candidate is a bonafide displaced person from the erstwhile West Pakistan (now Pakistan) who migrated to India during the period from 1st January, 1971 to 31st March, 1973.

(v) upto a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a bonafide displaced person from the erstwhile West Pakistan (now Pakistan) who migrated to India during the period from 1st January 1971 to 31st March, 1973.

(vi) upto a maximum of three years if a candidate is a bonafide repatriate or a prospective repatriate of Indian origin from Sri Lanka and has migrated to India on or after 1st November, 1964 or is to migrate to India under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964;

(vii) upto a maximum of eight years if a candidate belongs to Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a bonafide repatriate or a prospective repatriate of Indian origin from Sri Lanka and has migrated to Indian on or after 1st November, 1964, or is to migrated to India under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964;

(viii) upto a maximum of three years if a candidate is of Indian origin and has migrated from Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania or is a repatriate of Indian origin from Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia;

(ix) upto a maximum of three years if a candidate is a bonafide repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to Indian on or after 1st June, 1963;

(x) upto a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is a bonafide repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963;

(xi) upto a maximum of three years in the case of Defence services personnel disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area, and released as a consequence thereof;

(xii) upto a maximum of eight years in the case of Defence Services Personnel disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area and released as a consequence thereof and who belong to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes;

(xiii) upto a maximum of three years in the case of Border Security Force personnel disabled in operations during Indo-Pak hostilities of 1971 and released as a consequence thereof;

(xiv) upto a maximum of eight years in the case of Border Security Force Personnel disabled in operations during Indo-Pak hostilities of 1971, and released as a consequence thereof and who belong to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes;

(xv) upto a maximum of three years if a candidate is a bonafide repatriate of Indian origin (Indian Passport Holder) as also a candidate holding emergency certificate issued to him by the Indian Embassy in Vietnam and who arrived in India from Vietnam not earlier than July, 1975;

(xvi) upto a maximum of ten years if the candidate is physically handicapped person, i.e. Orthopaedically handicapped;

(xvii) upto the age of 35 years (upto 40 years for members as Scheduled Castes/Scheduled Tribes) in the case of widows, divorced women and women judicially separted from their husbands, who are not remarried;

(xviii) upper age limit is relaxable upto a maximum of six years for those persons who have ordinarily resided in the state of Assam, during the period from 1st January, 1980 to 15th August, 1985. This is subject to the production of a certificate from (a) the District Magistrate within whose jurisdiction he/she ordinarily resided or (b) any other authority designated in this behalf by the Government of Assam.

(xix) upper age limit is relaxable upto the age of 40 years (45 years for SC/ST candidates) as on 1-1-89 to the Departmental candidates who have rendered not less than 3 years continuous service as on 5-12-1988 provided they are working in posts which are in the same line or allied cadres and where a relationship could be established that service rendered in the Department will be useful for efficient discharge of the duties in the other categories of posts in accordance with the Department of Personnel and Administrative Reforms O.M. Nos. 4/4/74-Estt.(D) dated 20th July, 1976, 35014/4/79-Estt.(D) dated 24-10-1985 and 15012/1/88-Estt.(D) dated 20th May, 88.

SAVE AS PROVIDED ABOVE THE AGE LIMITS PRESCRIBED CAN IN NO CASE BE RELAXED. AGE CONCESSION IS *NOT* ADMISSIBLE TO THE 'SONS, DAUGHTERS AND DEPENDENTS OF EX-SERVICEMEN' AND TO PERSONS BELONGING TO 'BACKWARD CLASSES'.

N.B. (i) : The candidature of a person who is admitted to the examination under the age concession mentioned in Rule 5(B) above is liable to be cancelled, if after submitting his application, he resigns from service or his services are terminated by his department, either before or after taking the examination. He will, however, continue to be eligible if he is retrenched from the service or post after submitting his application.

N.B. (ii) : A Stenographer (including language Stenographer/Clerk/Steno-Typist/Hindi Clerks/Hindi Typist) who is on deputation to an ex-cadre post with the approval of the competent authority, or who is transferred to another post but retains lien on the post from which he is transferred, will be eligible to be admitted to the examination, if otherwise eligible.

6. Candidates must have passed the Matriculation Examination of any University incorporated by an Act of the Central or State Education Board at the end of the Secondary School, High School or any other certificate which is accepted by the Government of that State/Government of India as equivalent to Matriculation certificate for entry into service.

NOTE 1 : A candidate who has appeared at an examination the passing of which would render him educationally qualified for the Commission's examination but has not been informed of the result as also a candidate who intends to appear at such a qualifying examination will *NOT* be eligible for admission to the Commission's examination.

NOTE 2 : In exceptional cases, the Central Government may treat a candidate, who has, not any of the qualifications prescribed in this rule as educationally qualified provided that he possesses qualifications, the standard of which in the opinion of that Government ustifies his admission to the examination.

7. No person :—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person shall be eligible for appointment to service.

Provided that Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

8. A candidate already in Government service, whether in a permanent or temporary capacity, may apply direct for appearing at the examination but will have to send to the Commission a "No Objection Certificate" from his office before being allowed to take the Shorthand Test.

9. A candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient discharge of his duties as an officer of the Service. A candidate who after such medical examination, as may be prescribed by the competent authority, is found not to satisfy these requirements will not be appointed. Only such candidates as are likely to be considered for appointment will be medically examined.

NOTE :—In the case of disabled ex-Defence Service Personnel a certificate of fitness granted by the Demobilisation Medical Board of the Defence Services will be considered adequate for the purpose of appointment.

10. The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination shall be final.

11. Candidates except ex-servicemen released from the Armed Forces and those who are granted remission of fee vide Commission's Notice, must pay the fee prescribed in the Commission's Notice.

12. No candidate will be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission from the Commission.

13. Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may disqualify him for admission.

14. A candidate who is or has been declared by the Commission to be guilty of—

(i) Obtaining support for his candidature by any means, or

(ii) impersonating, or

(iii) procuring impersonation by any person, or

(iv) submitting fabricated documents or documents which have been tampered with, or

(v) making statements which are incorrect or false, or suppressing material information, or

(vi) resorting to any other irregular or improper means in connection with his candidature for the examination, or

(vii) using unfair means during the examination, or

(viii) writing irrelevant matter, including, obscene language or pornegraphic matter in the script(s), or

(ix) misbehaving in any other manner in the examination hall, or

(x) harassing or doing bodily harm to the staff employed by the Commission for the conduct of their examinations, or

(xi) violating any of the instructions issued to candidates along with their Admission Certificates permitting them to take the examination, or

(xii) attempting to commit or, as the case may be, abetting the Commission of all or any of the acts specified in the foregoing clauses, may in addition to rendering himself liable to criminal prosecution, be liable—

(a) to be disqualified by the Commission from the examination for which he is a candidate, or

(b) to be debarred either permanently or for a specified period—

(i) by the Commission from any examination or selection held by them;

(ii) by the Central Government, from any employment under them; and

(c) to disciplinary action under the appropriate rules if he is already in service under Government.

Selection of candidates :

15. After the examination, the candidates will be arranged by the Commission in the order of merit as disclosed by the aggregate marks finally awarded to each candidate and in that order as many candidates as are found by the Commission to be qualified by the examination for appointment as English Stenographers or Hindi Stenographers as the case may be, shall be recommended for appointment upto the number of unreserved vacancies decided to be filled on the results of the examination.

Subject to other provisions contained in these rules, due consideration will be given, at the time of making appointments on the results of the examination, to the preferences expressed by a candidate to various services/posts at the time of his application.

Provided that, candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes or Physically Handicapped categories or Ex-Servicemen may, to the extent the number of vacancies reserved for them cannot be filled on the basis of general standards, be recommended at relaxed standards to make up for the deficiency in the reserved quota subject to fitness of such candidates for selection irrespective of their ranks in the order of merit.

Provided further that Ex-Servicemen and Physically Handicapped persons belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes or Physically Handicapped category may, to the extent the number of vacancies reserved for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Physically Handicapped cannot be filled on the basis of general standard, be recommended by the Commission by relaxed standard to make up or the deficiency in the quota reserved for them out of the quota of vacancies reserved for Ex-servicemen subject to the fitness of these candidates for selection to the service irrespective of their ranks in the order of merit at the examination.

16. The form and manner of communication of the result of the examination to individual candidate shall be decided by the Commission in their discretion and the Commission will not enter into correspondence with them regarding the result.

17. Success in the examination shall confer no right to appointment unless the Government is satisfied, after such inquiry as may be considered necessary, that the candidate having regard to his character and antecedents, is suitable in all respects for appointment to the Service.

18. Brief particulars relating to the Services to which recruitment is being made through this examination, are given in Appendix-II.

J. S. SINHA, Dy. Secy.

APPENDIX-I

Scheme of Examination :—The Examination will consist of two parts, *viz.*

PART-I : Written Examination.

PART-II : Stenography Test.

PART I : *Written Examination* :—The subjects of the examination, the time allowed, the maximum marks for each subject and the syllabus and standard will be as follows :—

Subject	*Maximum Marks*	*Time Allowed*
(i) Language Test	100	2 hours
(ii) General Awareness	100	2 hours

There will be a single paper for both the subjects of 'Objective Multiple-Choice-Type' questions. Candidates will be required to qualify in each of the two subjects separately. The Commission will have full discretion to fix the minimum qualifying marks in either or both the subjects. Only those candidates who qualify in both the subjects would be eligible to be considered for being called for the Shorthand Test.

Standard and Syllabus :—The standard of the question papers will be approximately that of the Matriculation Examination of an Indian University.

Language Test (Hindi/English) :—Questions in this test will be set to assess the knowledge of Hindi/English Language, its vocabulary, Grammer, Sentence Structure, Synonyms and Antonyms, etc. There will also be questions on Comprehension of passages.

General Awareness :—Questions will be designed to test the ability of the candidate's general awareness of the environment around him and its application to society. Questions will also be designed to test knowledge of current events and of such matter of every day observations and experience in their scientific aspect as may be expected of an educated person. The Test will also include questions relating to India & its neighbouring countries especially pertaining to History, culture, Geography, Economic Science, general Polity and Scientific Research.

PART-II

SHORT HAND TEST IN HINDI OR IN ENGLISH
300 marks

(FOR THOSE WHO QUALIFY AT THE WRITTEN TEST)

The details about the shorthand est will be as follows :—

Scheme of Shorthand Test :—

The candidate will be given one dictation test in English or in Hindi at 80 words per minute for 10 minutes. The candidates who opt to take the test in English will be required to transcribe the matter in 65 minutes, and the candidates who opt to take the test in Hindi will be required to transcribe the matter in 75 minutes.

1. Candidates will be required to transcribe their shorthand notes on typewriters and for this purpose they will be required to bring their own typewriters with them.

2. Candidates who opt to take the Shorthand test in Hindi will be required to learn English Stenography and vice-versa, after their appointment.

APPENDIX II

Brief particulars relating to the service/posts to which recruitment is being made through the examination :—

A. *The Central Secretariat Stenographers' Service.*

1. The Central Secretariat Stenographers' Service has at present the following grades :—

Grade 'A' & 'B' (merged) : Rs. 2000-60-2300-EB-75-3200-100-3500.

Grade 'C' : Rs. 1400-40-1600-50-2300-EB-60-2600.

Grade 'D' : Rs. 1200-30-1560-EB-40-2040.

The question of constituting a new cadre in the scale of Rs. 3000-100-3500-EB-125-4500 is under consideration of the Government.

2. Persons recruited to Grade 'D' for the service will be on probation for a period of two years. During this period they may be required to undergo such training and to pass such examination as may be prescribed by the Government.

3. On the conclusion of the period of probation, Government may confirm the person concerned in his appointment or if his work or conduct in the opinion of the Government has been unsatisfactory he may either be discharged from the Service or his period of probation may be extended for such further period as Government may think fit.

4. Persons, recruited to Grade 'D' of the Service will be posted to one of the Ministries or Offices participating in the Central Secretariat Stenographers' Service Scheme. They may, however, at any time be transferred to any other such Ministry or Office.

5. Persons recruited to Grade 'D' of the Service will be eligible for promotion to the next higher grade in accordance with the rules in force from time to time in this behalf.

B. *The Railway Board Secretariat Stenographers' Service*

(a) (i) The Railway Board Secretariat Stenographers' Service has at present the following grades :

Grade A } The unified grade of
Grade B } Rs. 2000-60-2300-EB-75-3200-100-3500.
Grade C : Rs. 1400-40-1600-50-2300-EB-60-2600.
Grade D : Rs. 1200-30-1560-EB-40-2040.

(ii) Persons recruited to Grade C of the service will be on probation for a period of two years. During this period they may be required to undergo such training and to pass such examinations as may be prescribed by Government. On the conclusion of the period of probation if it is found that the work or conduct, in the opinion of the Government, of any of them has been unsatisfactory he may either be discharged from the service or his period of probation may be extended for such further period as Government may think fit.

(iii) Persons recruited to Grade D of the Service will be eligible for promotion to the next higher grade in accordance with the rules in force from time to time in this behalf.

(b) The Railway Board Secretariat Stenographers' service is confined to the Ministry of Railways and staff are not liable to transfer to other Ministries as in the case of the Central Secretariat Stenographers' Service.

(c) Officers of the Railway Board's Stenographers' Service recruited under these rules :

(i) will be eligible for pensionary benefits; and

(ii) shall subscribe to the non-contributory state Railway Provided Fund under the rules of that fund as are applicable to Railway Servants appointed on the date they join service.

(d) The candidate appointed to the Railway Board Secretariat Stenographers' Service will be entitled to the Privilege of Passes and Privilege Ticket Orders in accordance with the orders issued by the Railway Board from time to time.

(e) As regards leave and other conditions of service, staff included in the Railway Board Secretariat Stenographers' Service are treated in the same way as other Railway Staff but in the matter of medical facilities they will be governed by the rules applicable to other Central Government employees with Headquarters at New Delhi.

C. Indian Foreign Service (B)—Grade III of the Stenographers Cadre.

The stenographers cadre of the IFS 'B' has at present grades as follows :—

Selection Grade/Grade-I.

Rs. 2000-60-2300-EB-75-3200-100-3500.

Grade II.

Rs. 1400-40-1600-50-2300-EB-60-2600.

Grade III.

Rs. 1200-30-1560-EB-40-2040.

2. Persons recruited to Grade III of the Ser on probation for a period of two years. During this period they may be required to undergo such training and to pass such examinations as may be prescribed by the Government. On the conclusion of the period of probation if it is found that the work or the conduct or any of them, in the opinion of the Government, has been unsatisfactory, he may either be discharged from service or his period of probation may be extended for such further period as Government may think fit.

3. Candidates appointed to the Indian Foreign Service (B) will be liable to serve in any post either at Headquarters, anywhere in India or abroad to which they may be posted by the controlling authority.

4. During service abroad IFS(B) officers, are granted foreign allowance in addition to their basic pay, at rates which may be sanctioned from time to time, depending upon the cost of living etc. of the countries concerned. In addition, the following concessions are also admissible during service abroad, in accordance with the IFS (PLCA) Rules, 1961, as made applicable to IFS(B) officers :—

(i) Free furnished accommodation according to the scale prescribed by the Government;

(ii) Medical Attendance Facilities under the Assisted Medical Attendance Scheme;

(iii) Return air passage to India and back to the place of duty abroad upto a maximum of two throughout the officer's service for emergencies such as the death or serious illness of any immediate relation in India as may be defined by the Government;

(iv) Annual return air passage for children between the age of 6 and 22 studying in India to visit their parents during vacation subject to certain conditions;

(v) Expenditure on education of children upto a maximum of two children between the age of 5 and 18 studying at the place of posting abroad of the officer is met by the Government subject to certain conditions;

(vi) Outfit allowance for posting abroad as per existing instructions.

(vii) Home Leave Passage for officers and their families in accordance with the prescribed rules.

D. *Armed Forces Headquarters Stenographers Service* :—

As per the existing position there are 4 grades in AFHQ Stenographers Service with the methods of filling the posts as under :—

Grade	Pay Scale	Method
Stenographer Grade 'A'	Rs. 650-1200 Revised as 2000-3500	By promotion of Grade 'B' Stenographers.
Stenographers Grde 'B'	Rs. 650-1040 Revised as Rs. 2000-3500.	50% by promotion of Grade 'C' Stenographers. 50% by promotion of Grade 'C' Stenographers on the basis of Limited Departmental Competitive Exam.
Stenographers Grade 'C'	Rs. 425-800 Revised as Rs. 1400-2600.	25% by Promotion of Grade 'D' Stenographers. 25% by promotion of Grade 'D' Stenographers on the basis of Limited Departmental Competitive Examination. 50% by direct recruits.
Stenographers Grade 'D'	Rs. 330-560 Revised as Rs. 1200-2040.	Through Limited Departmental Competitive Examination limited to the members of the AFHQ Clerical Services held by the SSC failing which by the method decided by the Government.

(Note :—The Govt. on the recommendations of the 4th Pay Commission, has merged Steno. Gr. 'A' and Steno. Grade 'B' together in the revised pay scale of Rs. 2000-3500 and further created posts of Stenographers in the pay scale of Rs. 3000-4500. Review of AFHQ Stenographers Service is also under consideration.)

2. Persons recruited to Grade 'D' of Armed Forces Headquarters Stenographers Service will be on probation for a period of two years. During this period they may be required to undergo such training and to pass such examination as may be prescribed by the Government.

3. On the conclusion of the period of probation, Government may confirm the person concerned in his appointment or if his work or conduct in the opinion of the Government has been unsatisfactory he may either be discharged from the Service or his period of probation may be extended for such further period as Government may think fit.

4. Persons, recruited to Grade 'D' of the Service will be posted to one of the offices of Armed Forces Headquarters/ Inter Service Organisations under the Ministry of Defence located in Delhi/New Delhi and participating in the Armed Forces Headquarters Stenographers' Service Scheme. They, however, carry the liability to serve anywhere in India.

5. Persons recruited to Grade 'D' of the Service will be eligible for promotion to the next higher grade in accordance with the rules in force from time to time in this behalf.

MINISTRY OF FINANCE

(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)

New Delhi, the 4th October 1988

No. F.15(1)-PD/88.—Government of India hereby makes the following amendment in the Special Deposit Scheme for non-Government provident, superannuation and gratuity funds announced in the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) Notification No. F.16(1)-PD/75 dated 30th June 1975 as extended by its Notification No. F.16(8)-PD/84 dated 12th June, 2985. The amendment will come into force immediately.

(i) The following shall be inserted as paragraph 2 in Form A—Application for opening of an account under the Special Deposit Scheme :—

"2. I/We, as the controlling authority of the undermentioned Fund, hereby declare that there is no other Special Deposit Account opened in the name of the said Fund."

(ii) The existing paragraph 2 in the said Form A shall be renumbered paragraph 3.

V. BALASUBRAMANIAN
Officer on Special Duty (Budget)

MINISTRY OF COMMERCE

(DEPARTMENT OF SUPPLY)

RESOLUTION

No. P.III-1(5)/86.—By Department of Supply Resolution No. P.III-1(5)/86 dated the 11th June, 1987 (as amended by Resolutions of even number dated 15-10-87, 20-1-88, 13-6-88 and 19-9-88) a Working Group was set up under the Chairmanship of Shri Prakash Narain, Retired Chief Justice of Delhi High Court for considering and recommending the general framework and objects of a separate legislation for public buying. The following amendment in Para 2 of the said Resolution is hereby ordered :—

For : Member Secretary, Shri R. P. Singhal, Addl. Director General (S&D)

Read : Consultant-*cum*-Member Secretary—Shri M. Srinivasan, Ex-DG (S&D)

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

R. C. KAPILA
Addl. Secy.

MINISTRY OF HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT

(DEPARTMENT OF EDUCATION)

New Delhi-110001, the 10th October 1988

RESOLUTION

No. F.11011/4/85-CDN(Hindi).—In partial modification of this Department's Resolution No. 11011/4/85-CDN(H) dated the 21st April, 1986, Shri Subas Mohanty, Member Rajya Sabha, is nominated as a member of the Hindi Salahakar Samiti of the Ministry of Human Resource Development for the remaining term of the Samiti in the vacancy caused by the retirement of Smt. Krishna Kaul, Member Rajya Sabha.

ORDER

ORDERED that copy of the Resolution be communicated all the Members of the Samiti, All State Governments and Union Territory Administrations, Prime Minister's Office, Cabinet Sectt., Rajya Sabha Sectt., Lok Sabha Sectt., Ministry of Parliamentary Affairs, President's Secretariat, Planning Commission, Comptroller and Auditor General of India, and all the Ministries and Departments of the Government of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

S. GOPALAN
Addl. Secy.

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 26th September 1988

RESOLUTION

No. E-11015/38/88-Hindi.—In partial modification of this Ministry's Resolution No. E-11015/1/85 Hindi dated 9th September 1988, the Government of India have decided to extend the tenure of the Hindi Advisory Committee of the Ministry of Information and Broadcasting upto 31st December, 1988.

The other terms and conditions of the Committee will remain the same.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all State Governments and Union Territory Administrations, all Ministries/Departments of the Government of India, President's Secretariat, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Department of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Planning Commission, Comptroller and Auditor General, Accountant, General, Central Revenues and Controller General of Accounts.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

B. K. ZUTSHI
Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI. 1988